

BY SPEED POST

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTEE OF INDIA PART-I SECTION II)

No. I-14013/74/2013-IPS.I

Government of India / Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya

\*\*\*

New Delhi, the January, 2016

NOTIFICATION

20 JAN 2016

In compliance of order dated 04.01.2013 passed by the Hon'ble High Court of Jammu and Kashmir at Jammu in SWP No. 1907/2009 filed by Shri Syed Ashiq Hussain Bukhari and inclusion of the name of Shri Syed Ashiq Hussain Bukhari at Sl. No. 1A below the name of Shri Ghulam Hassan Bhat (Sl. No. 1) and above the name of Shri Syed Kifayat Hyder (Sl. No. 2) in the Select List of 2006-A by the Review Selection Committee and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with 2<sup>nd</sup> proviso to sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Shri Syed Ashiq Hussain Bukhari (D.O.B. 01.03.1956) a member of Jammu & Kashmir Police Service (now since retired from SPS w.e.f. 28.02.2014) to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Jammu & Kashmir Cadre under sub- rule (1) of rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The applicant is entitled to all notional benefits with respect to that of his immediate junior officer namely Shri Syed Kifayat Haider.

3. This issues in continuation of this Ministry's earlier Notification no.I-14011/6/2010-IPS.I(II) dated 18.03.2011.



(Harish Chandra Rai)

Under Secretary to the Government of India

Tele No. 2309 2527

To

The Manager,  
Govt. of India Press,  
Faridabad (Haryana)

No.I-14013/74/2013-IPS.I

New Delhi, the 20 January, 2016

*A copy each is forwarded to: -*

1. The Chief Secretary, Government of Jammu & Kashmir, JAMMU. {Kind Attn. Shri. Arshad Ayub, Special Secretary, Home Deptt.}.
2. The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, NEW DELHI. (Kind Attn. Shri. G. C. Saha, Under Secretary, AIS).
3. The Accountant General, Jammu & Kashmir, JAMMU.
4. The Director General Police, Jammu & Kashmir, JAMMU.
5. IPS- II, III, IV / ACR Cell / Civil List Seat / Seniority Seat.

✓ 6. SO (IT) for uploading this notification on the website of MHA.



(Harish Chandra Rai)

Under Secretary to the Government of India

[ भारत के राजपत्र, भाग I, खण्ड (II), में प्रकाशनार्थ ]

सं. आई-14013/74/2013-आईपीएस.।

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक जनवरी, 2016

अधिसूचना

18.03.2016

माननीय जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू द्वारा श्री सैयद आशिक हुसैन बुखारी द्वारा दायर विशेष रिट याचिका संख्या 1907/2009 में पारित आदेश दिनांक 04/01/2013 के अनुपालन में एवं समीक्षा चयन समिति द्वारा श्री सैयद आशिक हुसैन बुखारी के नाम को चयन सूची 2006-ए के क्रम संख्या 1 ए पर जो कि श्री गुलाम हसन बट (क्रम संख्या 1) के नीचे एवं श्री सैयद किफायत हैदर (क्रम संख्या 2) के ऊपर सम्मिलित किये जाने के अनुसरण में भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के उप विनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सैयद आशिक हुसैन बुखारी (जन्म तिथि : 01.03.1956) राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी (दिनांक 28/02/2014 को सेवानिवृत्त) को परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा का जम्मू कश्मीर संवर्ग प्रदान करते हैं।

2. श्री सैयद आशिक हुसैन बुखारी को ठीक उनके कनिष्ठ श्री सैयद किफायत हैदर की नियुक्ति तिथि से समस्त अनुमानित लाभान्श देय होंगे।

3. मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अधिसूचना संख्या सं. आई-14011/6/2010-आईपीएस.1(II) दिनांक 18.03.2011 की निरन्तरता में जारी।



(हरीश चन्द्र राय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 2309 2527

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद  
हरियाणा।

सं. आई-14013/74/2013-आईपीएस.।

नई दिल्ली, दिनांक

जनवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, जम्मू (ध्यानार्थ: श्री अरशद अयूब, विशेष सचिव, गृह विभाग)।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थ: श्री जी० सी० साहा, अवर सचिव एआईएस), धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, जम्मू एवं कश्मीर।
4. महानिदेशक, जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू।
5. आई पी एस III/III/IV, एसीआर सैल, सिविल लिस्ट सीट/वरिष्ठता सीट।
6. अनुभाग अधिकारी (आई टी प्रकोष्ठ) उपयुक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।



(हरीश चन्द्र राय)

अवर सचिव, भारत सरकार